उत्तर पश्चिम रेलवे

कार्यालय महाप्रबन्धक (कार्मिक)
Office of the General Manager (P)
09 AUG 2012
North Western Railway, Jaipur
उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 83/2012
दिनांक 1/8/2012

संख्याः– 605-E/6th CPC

RBE No. 83/2012

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
मुख्य कारखाना प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर, बीकानेर
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– अजमेर, जोधपुर
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण– जयपुर
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–जयपुर
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक/सतर्कता प्रका.– जयपुर
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– जयपुर
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– अजमेर
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– उदयपुर
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– जोधपुर
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– जयपुर
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– जयपुर
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– जयपुर
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– जयपुर.

विषय :– Railway Services (Revised Pay) Rules 2008 – Clarification regarding provised under Rule 10.

संदर्भ :– Rly Bd No. PC-VI/2010/1/6/2 dt. 18/7/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 18/7/2012 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

(आर.के.शर्मा)
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

7. महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू 15 प्रतियाँ।
8. महासचिव– यूपीआरएमएस 15 प्रतियाँ।
9. महासचिव– एससी/एसटी एसो. 15 प्रतियाँ।
10. महासचिव– ओबीसी एसो. 05 प्रतियाँ।
11. महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो. 05 प्रतियाँ।

166
30 JUL 2012

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

RB-1359
30 JUL 2012
North Western Railway, Jaipur

S. No. PC-VI/296
No.PC-VI/2010/I/6/2

RBE No. 83/2012
New Delhi, dated 18.07.2012

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – Clarification regarding proviso under Rule 10.

Ref: Railway Board's Notification GSR 643(E) dated 04.9.2008 and letter No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.02.2009 and No.PC-VI/2010/I/RSRP/3 dated 23.04.2010.

References have been received from some of the Railways seeking clarification regarding computation of the period of one year for which pay was drawn at the maximum of the pre-revised scale towards admissibility of additional increment under proviso to Rule 10 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

2. The matter has been examined and it is clarified that the increment in question will be admissible to all those employees who were stagnating at the maximum of their pay scale for more than one year as on 01.01.2006 including those who were in receipt of stagnation increment(s). It is also clarified that the one year period is to be reckoned w.e.f. the date of drawal of pay at the maximum of scale and not from the date of drawal of stagnation increment.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(HARI KRISHAN)
Director, Pay Commission-II
Railway Board.

No.PC-VI/2010/I/6/2 **New Delhi, dated 18.07.2012**

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI(Railways) New Delhi.

for Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी- VI/296 — आर बी ई नं. 83/2012
नं. पी सी-VI/2010/I/6/2 — नई दिल्ली, दिनांक 18.07.2012.

महा प्रबन्धक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयॉ
(डाक- सूची के अनुसार)

विषय : रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008- नियम 10 के परन्तुक के बारे में स्पष्टीकरण.

सन्दर्भ : रेलवे बोर्ड की 04.09.2008 की अधिसूचना जी एस आर 643(अ), और 11.02.2009 का पत्र सं. पी सी-VI/2008/I/आर एस आर पी/1 एवं 23.04.2010 का पत्र सं. पी सी-VI/2010/I/आर एस आर पी/3.

कुछ रेलों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के परन्तुक के अन्तर्गत् एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि की स्वीकार्यता के लिए पूर्व-संशोधित वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष की अवधि की गणना के बारे में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई है ।

2. मामले के परीक्षण के बाद स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त 'वेतनवृद्धि' उन सभी कर्मचारियों को स्वीकार्य होगी जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक अवधि तक अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए थे जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले ही गत्यावरोध वेतनवृद्धि(वेतनवृद्धियॉ) आहरित कर रहे थे । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष की अवधि वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरण की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी; गत्यावरोध वेतनवृद्धि के आहरण की तारीख से नहीं ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वेतन आयोग- II
रेलवे बोर्ड

नं. पी सी-VI/2010/I/6/2 — नई दिल्ली, दिनांक 18.07.2012.

भारत के अपर उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) अग्रेषित.

कृते वित्त आयुक्त/रेलें